संख्या:50/2025/603पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/24/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 29.03.2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) विकास निधि योजनान्तर्गत जनपद-बलिया में निम्नलिखित कार्यों की रू. 900.84 लाख (रू0 नौ करोड़ चौरासी हजार मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 450.38 लाख (रूपये चार करोड़ पचास लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लागत लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	ग्रामसभा श्रीपुर के परसपुर वासुदेवपुर मोड से प्राथमिक विद्यालय परसपुर होते हुए ग्रामसभा भीखपुर के सिवान के पास सायर माता के स्थान तक सडक निर्माण कार्य।	850	45.9	22.95
2	बसंतपुर ग्रामसभा में लोक निर्माण सडक से उडियाबाबा के स्थान होते हुए यादव डेरा तक सडक निर्माण कार्य।	669	50.01	25.00
3	ग्राम सभा पुरास में हरी गुप्ता के ट्यूबेल से पुरेसवर महादेव मंदिर तक सडक निर्माण कार्य।	675	50.24	25.12
4	सहतवार कुसौरी पिच मार्ग से हरिजन बस्ती (नैना डेरा) तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	587	46.07	23.03
5	बेरूआरबारी बॉसडीह मार्ग से देलूहा विद्युत उपकेन्द्र होते हुए देलूआ ग्राम तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	1325	89.5	44.75
6	ग्रामसभा अमावें सतुहाड़ी सीवान से चुनमुन पाण्डेय के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	250	19.73	9.86
7	ग्रामसभा मझौवां में भीमपुरा बेलौनी मार्ग से मठिया राजभर बस्ती तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	355	21.5	10.75
8	ग्रामसभा-रामापट्टी में भीमपुरा-रतनपुरा मार्ग से सीताराम उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	350	20.84	10.42
9	नगरा घोसी मार्ग से मुकेश सिंह के मकान से भीमपुरा रतनपुरा मार्ग तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	400	23.87	11.93
10	ग्रामसभा-अमावें दलित बस्ती से सती स्थान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	650	45.98	22.99
11	लवकरा सम्पर्क चौहान बस्ती होते हुए बस्तौरा राजभर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1800	87.53	43.76

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
12	रामगढ़ बलिहार मुख्य सड़क मार्ग रामपुर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय होते हुए पाण्डेय के डेरा तक सड़क निर्माण कार्य।	550	45.38	22.69
13	जिगनी खास से जिगनी रेलवे स्टेशन तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	1900	119.58	59.79
14	जिगिरसड़ बहेलिया मार्ग से चौहान बस्ती बनकट तक मार्ग का निर्माण कार्य	480	27.22	13.61
15	सिकन्दरपुर मनियर मार्ग से खरीद राजीपुर बाजार तक मार्ग निर्माण कार्य	300	18.00	9.00
16	बलिया सिकन्दरपुर पी०डब्लू०डी० मार्ग से करनई हनुमान मन्दिर से ओम प्रकाश तिवारी के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	600	45.74	22.87
17	ग्राम पंचायत-दयाछपरा एन0एच0-31 से प्रसाद छपरा मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	850	56.93	28.46
18	चिलकहर टीकादेवरी मुख्य मार्ग से विवेकानन्द विद्यालय से नगपुरा गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य।	460	26.9	13.45
19	ग्राम सभा नगपुरा पीच रोड से वर्मा बस्ती होते हुए सी०सी० सडक तक मार्ग का निर्माण कार्य।	315	19.95	9.97
20	ग्राम सभा पिपरा गैरिया में नाली निर्माण का कार्य।	610	25.22	12.61
21	ग्रामसभा चिन्तामनपुर की दलित बस्ती में मुख्य श्री ओमचन्द्र के घर से श्री लाल बिहारी के दरवाजे तक सड़क का निर्माण कार्य।	295	14.75	7.37
	महायोग:	**14271**	**900.84**	**450.38**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. कार्य का निर्माण,लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेंगी, ताकि कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8/74/2000-170 दिनांक 19 सितम्बर, 2002 एवं संशोधत मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-11/2022/1115/717/35-1-2022 35-4-2018 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
15. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
18. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च,2025 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा नियोजन अनुभाग-1 को दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
19. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
20. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
21. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
22. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
23. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
24. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

25. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
26. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्तधनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में (1) क्रमांक-10 एवं 21 के कार्य पर होने वाला व्यय रू0 30,36,000/- (रू0 तीस लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखाशीर्षक** 4575027890300 पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे तथा (2) शेष कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 4,20,02,000/- (रू0 चार करोड़ बीस लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 4575608000300 पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:50/2025/603पू0वि0नि0(1)/35-1-2025/35-1099/24/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमढ़।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।